नीति आयोग के गवर्निंग कॉउसिंल की तीसरी बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का अभिभाषण

माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, नीति आयोग के आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय केन्द्रीय मंत्रीगण, गवर्निंग कॉन्सिल के सभी आदरणीय सदस्यगण, केन्द्र और राज्य सरकारों के पदाधिकारीगण

सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें नीति आयोग के गवर्निंग कॉउसिंल की तीसरी बैठक में आमंत्रित किया और इस अवसर पर अपना सुझाव रखने का अवसर दिया। भारत के संघीय ढाँचे में सभी राज्यों की पहल एवं सहभागिता से समस्याओं का निराकरण करने तथा लोकोपयोगी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए बेहतर समन्वय का माहौल पैदा करने में नीति आयोग अग्रणी भूमिका निभा सकता है। बदले हुए आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश में देश के विकास के लिये समावेशी सोच एवं दृष्टि की आवश्यकता है। आज की बैठक हमें यह अवसर प्रदान करती है कि हम अपनी समस्याओं पर एक मंच पर विचार–विमर्श करें और उनका समाधान ढूँढ़े।

नीति आयोग द्वारा एजेंडा नोट में काफी व्यापक एवं महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। आशा है कि राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, नीतियों तथा क्षेत्रों की रणनीतियों के साथ–साथ राज्यों द्वारा उठाये जा रहे सामयिक विषयों पर इस बैठक में सकारात्मक चर्चा होगी एवं केन्द्र तथा राज्यों के बीच महत्वपूर्ण विषयों पर आम सहमति बनेगी। मेरा अनुरोध होगा कि चूँकि अल्प अवधि पूर्व ही एजेन्डा नोट प्रसारित किया गया है इसलिए राज्य सरकारों को सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कंडिकावार विस्तृत मंतव्य नीति आयोग को उपलब्ध कराने का अवसर दिया जाये एवं मंतव्य प्राप्त होने पर उस पर समुचित विचार हो।

मैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर गवर्निंग कॉउसिंल का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा–

- **केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का युक्तिकरण** – यद्यपि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर सभी राज्यों की संयुक्त हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गयी है, परन्तु आयोग द्वारा राज्यों के बीच क्षैतिज वितरण के लिए जो मानक तय किये गये हैं, उसके चलते विभिन्न राज्यों पर पड़ रहे प्रभाव में बहुत ज्यादा भिन्नता है। उदाहरण के लिए बिहार को 13वें वित्त आयोग के फार्मूले के आधार पर राज्यों की संयुक्त हिस्सेदारी 32 प्रतिशत रहने पर भी पूर्व के वर्ष के वृद्धि दर (15 प्रतिशत) के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 में 48,118 करोड़ रूपये की प्राप्ति का आकलन था। नये फार्मूले पर बिहार को वित्तीय वर्ष 2015–16 में 50,748 करोड़ रूपये की प्राप्ति केन्द्रीय करों के हिस्से के रूप में होगी। इस प्रकार बिहार के लिए मात्र 5 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, जबकि राज्यों की संयुक्त हिस्सेदारी में बढ़ोतरी करीब 30 प्रतिशत है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के इस अत्यंत असमान प्रभाव को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

  बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए यह चिन्ता का विषय है कि राज्यों के बीच निधि के बटवारा हेतु 14वें वित्त आयोग ने जो फार्मूला दिया है उसके आधार पर कुल राशि में बिहार का हिस्सा 10.9 प्रतिशत से घटकर 9.665 प्रतिशत हो गया है। वित्त आयोग ने क्षेत्रफल तथा प्राकृतिक वनों की अधिकता को अधिमानता दी है जबकि बिहार जैसे अधिक जनसंख्या घनत्व एवं थलरूद्ध राज्य की विशिष्ट समस्याओं की अनदेखी की है। बिहार द्वारा हरित आवरण को बढ़ाये जाने के प्रयास को प्रोत्साहित करने के बजाय उसकी उपेक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष नेपाल से उद्भुत नदियों में आने वाली बाढ़ से जान एवं माल की व्यापक क्षति भी राज्य पर वित्तीय बोझ डालती है। बिहार भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा है और यहॉ की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। बिहार राज्य की इन विशेष आवश्यकताओं को भी देखे जाने की आवश्यकता है।

  14वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को अन्तरित किए जाने वाले हिस्से को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किये जाने की अनुशंसा को आधार बनाते हुए केन्द्रीय बजट में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों को दी जाने वाली राशि में काफी कमी की गई है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव बिहार पर बहुत अधिक पड़ा है। बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो वर्ष 2015–16 में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्रांश

की अनुमोदित राशि 23,988 करोड़ रूपये थी, जबकि वास्तविक रूप से राज्य को मात्र 15,932 करोड़ रूपये आवंटित हुये। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में केन्द्रांश की अनुमोदित राशि 28777 करोड़ रूपये थी जबकि वास्तविक रूप से मात्र 17143 करोड़ रूपये ही प्राप्त हुए। अतः इन योजनाओं हेतु संसूचित बजटीय प्रावधान तथा वास्तविक प्राप्त राशि में काफी अंतर रह रहा है।

राष्ट्रीय विकास एजेंडा से संबंधित सभी 21 योजनाओं का वित्तीय पैर्टन 60:40 (केन्द्रांशःराज्यांश) कर दिया गया है। इस वित्तीय पैर्टन के बदलाव के कारण राज्य सरकार को अपने स्रोतों से वित्तीय वर्ष 2015–16 में अतिरिक्त 4500 करोड़ रूपये केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में लगाने पड़े एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में यह भार 4900 करोड़ रूपये रहा है। स्पष्ट है कि राज्य को अपने संसाधन में से एक बड़ा भाग राज्यांश के रूप में प्रतिबद्ध करना पड़ रहा है जिससे राज्य की अपनी योजनाओं के लिए नगण्य राशि उपलब्ध हो पाती है। इसके चलते राज्य नागरिक सुविधाओं और आवश्यकता की पूर्ति राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं कर पायेगा एवं क्षेत्रीय विषमता को दूर करने तथा राष्ट्र के मुख्य धारा में सम्मिलित होने में असमर्थ रहेगा। अतः जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय के औसत से कम हो उनके केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में 90 प्रतिशत केन्द्रांश दिया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय विकास एजेंडा से संबंधित योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन संभव हो सके एवं एक निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत इनके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

राष्ट्रीय विकास एजेन्डा के आलोक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति सभी राज्यो के द्वारा की जानी है। इस संदर्भ में आवश्यक है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वर्गीकरण को पुनः देखे जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में 'कोर ऑफ द कोर' (core of the core) योजनाओं में पूर्व के वित्तीय पैटर्न को केन्द्र सरकार द्वारा बरकरार रखा गया है। अतः आवश्यक है कि सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न भोजन, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी राष्ट्रीय विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों को कोर ऑफ द कोर के वर्गीकरण के तहत लाते हुए इन योजनाओं में पूर्व के वित्तीय पैटर्न को केंद्रीय सरकार के द्वारा बरकरार रखा जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त पिछड़े राज्यों की विशेष आवश्यकताओं की भी अलग से देखे जाने की आवश्यकता है। 14वें वित्त आयोग ने भी अपनी अनुंशसा में यह सुझाव दिया था कि ''जिस हद तक सूत्र आधारित हस्तांतरणों से विशिष्ट राज्यों की जरूरत पूरी नहीं होती वैसे राज्यों को एक सुनिश्चित तथा न्यायसंगत आधार पर पूरक अनुदान सहायता दिए जाने की जरूरत है।'' इस सुझाव के आलोक में बिहार राज्य की विशेष आवश्यकताओं के मद्देनजर केन्द्र सरकार को पूरक अनुदान सहायता दी जानी चाहिए।

- **स्पेशल प्लान** – बिहार में आधारभूत संरचना की कमी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में विशेष योजना (बी०आर०जी०एफ०) के तहत 12000 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई थी। इसमे नयी परियोजनाओं के लिये 10500 करोड़ रूपये तथा पुरानी चालू योजनाओं को पूरा करने के लिये 1500 करोड़ रूपये कर्णांकित किये गये थे। इसमें 9597.92 करोड़ रूपये की नयी परियोजनाओं की स्वीकृति नीति आयोग द्वारा दी गयी थी। अभी भी 902.08 करोड़ रूपये की राशि के विरूद्ध परियोजनाओं को स्वीकृति हेतु नीति आयोग के पास प्रस्ताव लंबित है। इसके विरूद्ध ऊर्जा प्रक्षेत्र की स्वीकृत परियोजनाओं में लागत में हुई वृद्धि से संबंधित 856.81 करोड़ रूपये का प्रस्ताव तथा पथ प्रक्षेत्र की एक परियोजना–लागत राशि 391 करोड़ रूपये का प्रस्ताव नीति आयोग के स्तर पर स्वीकृति हेतु लंबित है।

जहाँ तक राशि विमुक्ति का प्रश्न है, अब तक 6934.21 करोड़ रूपये विमुक्त किय गय है एवं अद्यतन व्यय 8159.69 करोड़ रूपये है। अब तक 7606.93 करोड़ रूपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र नीति आयोग को भेजा जा चुका है। राज्य सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद भी परियोजनाओं को पूरा करने हेतु 1225.46 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि का व्यय अपने स्रोत से किया है ताकि कार्य बाधित न हो। अवशेष राशि को उपलब्ध कराने हेतु कई अनुरोध पत्र केन्द्रीय वित्त मंत्री को भेजे गये है। माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के माध्यम से विशेष योजना के तहत लम्बित योजनाओं को पूरा करने के लिए अवशेष राशि 4163.71 करोड़ रूपये शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाये ताकि योजनाओं का काम ससमय पूर्ण किया जा सके। राशि की विमुक्ति में विलम्ब से न सिर्फ योजनाओं का लागत खर्च बढ़ेगा बल्कि राज्य के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव

पड़ेगा। साथ ही 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत राशि में से अवशेष 902.08 करोड़ रुपये के विरुद्ध पूर्व से भेजे गये प्रस्ताव की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर देते हुए राशि शीघ्र उपलब्ध करायी जाए।

बिहार राज्य के विभाजन के समय बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 में यह प्रावधान किया गया था कि विभाजन के फलस्वरूप बिहार को होने वाली वित्तीय कठिनाईयों के संदर्भ में एक विशेष कोषांग उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सीधे नियंत्रण में गठित होगा और वह बिहार की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष अनुशंसायें करेगा। इस प्रावधान के तहत ही बिहार को विशेष सहायता, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के माध्यम से दी जा रही थी। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत प्रावधानिक इस व्यवस्था को आगे भी जारी रखा जाये।

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** – ग्रामीण संपर्कता के अंतर्गत बारहमासी पथों से बसावटों को जोड़ने की योजना को राष्ट्रीय विकास एजेंडा में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्तमान में वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों में 250 से अधिक आबादी वाले अनजुड़े बसावटों को जोड़ने तथा शेष जिलों में 500 से अधिक आबादी वाले अनजुड़े बसावटो को बारहमासी पथों से जोड़ने का प्रावधान है। चूंकि ग्रामीण संपर्क पथ राष्ट्रीय विकास एजेंडा में शामिल है अतः मैं गैर–उग्रवाद प्रभावित जिलों में भी 250 से अधिक आबादी वाले बसावटों को जोड़ने की योजना को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल करने की मांग करता हूँ।

  प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–1 में पहले 100 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता था जिसे अब 60:40 (केन्द्रांशःराज्यांश) का अनुपात कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–1 के तहत लम्बित योजनाओं की स्वीकृति वर्तमान में बदले हुए वित्तीय पैटर्न के आधार पर दी जा रही है। जिससे बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को अतिरिक्त राशि अपने संसाधनों से देनी पड़ रही है। इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ के कारण राज्य में आधारभूत संरचना के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः अनुरोध है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–1 के तहत लम्बित योजनाओं की स्वीकृति पूर्व के वित्तीय पैटर्न पर ही दी जाए।

- **विशेष राज्य का दर्जा** – पिछले कई वर्षों में दोहरे अंक का विकास दर हासिल करने के बावजूद भी हम विकास के प्रमुख मापदंडों मसलन गरीबी रेखा, प्रति व्यक्ति आय, औद्योगीकरण और सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत संरचना में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी तरह कई अन्य राज्य भी पिछड़े हैं। ऐसे पिछड़े राज्यों को एक समय सीमा में पिछड़ेपन से उबारने और राष्ट्रीय औसत के समकक्ष लाने के लिए सकारात्मक नीतिगत पहल की जरूरत है। जिन राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला है वे विकास के मामले में प्रगति किये हैं। अतः पिछड़ेपन से निकल कर विकास के राष्ट्रीय औसत स्तर को प्राप्त करने के लिए बिहार को और इस जैसे अन्य पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलना आवश्यक है। हमने लगातार केन्द्र सरकार के समक्ष अपनी मांग को रखा है।

  इसी संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा गठित रघुराम राजन समिति की अनुशंसाओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने राज्यों के लिए समग्र विकास सूचकांक प्रस्तुत किया था एवं जिसके अनुसार देश के 10 सर्वाधिक पिछड़े राज्यों को चिन्हित किया गया था। इन राज्यों में बिहार भी सम्मिलित है। प्रतिवेदन में उल्लेखित था कि सर्वाधिक पिछड़े राज्यों की विकास की गति बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार अन्य रूप में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करा सकती है। इस पृष्ठभूमि में हमारा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार, सर्वाधिक पिछड़े राज्यों के लिये विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्दांश के प्रावधान को 90 प्रतिशत करे ताकि इन राज्यों को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्याशों की प्रतिबद्धताओं में बचत हो सकेगी एवं इन्हें अपने संसाधनों का उपयोग अन्य विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में करने का अवसर मिल सकेगा। साथ ही इन राज्यों को केन्द्रीय प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में छूट मिलने से निजी निवेश के प्रवाह को गति मिलेगी तथा रोजगार के नए अवसर सृजित हो सके।

- **मानदेय का पुनरीक्षण एवं वित्तीय भार का वहन** – केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में मार्गदर्शिका के अनुसार लोगों को योजना के क्रियान्वयन में लगाया जाता है और इसके लिए उन्हें मानदेय दिया

जाता है। उदाहरण के तौर पर समेकित बाल विकास कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका, मध्याह्न भोजन के तहत रसोईया आदि। समय–समय पर इनके द्वारा अपने मानदेय को बढ़ाने की माँग की जाती है। ऐसे लोग बड़ी संख्या में होने के कारण संगठित रूप से भी अपनी माँगों को रखते है एवं पूरा नही होने पर विरोध भी करते है। इस कारण योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और योजनाओं के मूल उद्देश्यों पर मानदेय संबंधी मामला हावी हो जाता है। कुछ मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा लम्बी अवधि से मानदेय में वृद्धि नही करने के कारण, केन्द्र द्वारा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त बिहार जैसे अल्प संसाधन वाले राज्य को अपने संसाधनों से भी राशि देनी पड़ रही है। अतः इस संबंध में मेरा सुझाव है कि अगर केन्द्र प्रायोजित योजनाओं म ऐसे लोगों को लम्बी अवधि तक लगाया जाता है तो इनके मानदेय में एक निर्धारित अन्तराल पर यथोचित वृद्धि की जानी चाहिए और इसका पूर्ण वित्तीय भार केन्द्र सरकार को वहन करना चाहिए।

- **समेकित बाल विकास कार्यक्रम एवं मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन** – सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम एवं मध्याह्न भोजन योजना के तहत गरम तैयार भोजन परोसा जाना है। आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सेविका/सहायिका को 0–6 आयु वर्ग के बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण से संबंधित कई मूल सेवायें प्रदान की जाती है। किन्तु प्रत्येक दिन खाना तैयार करने के दायित्व की वजह से आंगनवाड़ी केन्द्र की पहचान मात्र पूरक पोषाहार तैयार करने तथा उसका वितरण करने के केन्द्र के रूप में हो गई है। इस कार्य में भी अनेक प्रकार के अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायते लगातार प्राप्त होती रहती है। अतः यह कार्यक्रम अपने मूल उद्देश्यों पर केन्द्रित न रहकर इन्ही गतिविधियों में फँसा रहता है। इसी तरह की समस्यायें मध्याह्न भोजन में भी पाई जाती है। आधारभूत संरचना की कमी, समुचित भण्डारण का अभाव, स्वच्छता मानकों का उल्लंघन एवं अप्रशिक्षित अल्प मानदेय भोगी रसोईयों आदि के चलते मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत तैयार किये जा रहे भोजन की गुणवत्ता की लगातार शिकायत प्राप्त होती रहती है। शिक्षकों का भी ध्यान पढ़ाने से ज्यादा मध्याह्न भोजन पर केन्द्रित हो जाता है।

  बिहार सरकार द्वारा अनेक राज्य योजनाओं यथा– पोशाक योजना, साईकिल योजना आदि में सफलतापूर्वक प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरण किया जा रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। ऐसे मामलों में सरकारी राशि का दुरूपयोग पर प्रभावकारी रोक, उच्चतर भौतिक उपलब्धि एवं लाभार्थी के संतुष्टि स्तर में वृद्धि देखी गई है। अतः मैं नीति आयोग से अनुरोध करूँगा कि वे समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम एवं मध्याह्न भोजन योजना के विधिसम्मत वैकल्पिक क्रियान्वयन की संभावनाओं पर विचार करे।

- **कौशल विकास** – राज्य सरकार के द्वारा राज्य में व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम हेतु पहल करते हुये कौशल विकास मिशन की स्थापना की गयी है। राज्य सरकार के द्वारा अगले पाँच वर्षो में एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किये जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नीति आयोग द्वारा गठित उप–समूह में राज्य सरकार की तरफ से सौपे गये ज्ञापन तथा मेरे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को लिखे गये पत्र मे वर्णित कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु थे, जिन्हें न तो उप–समूह के द्वारा ही अपनी अनुशंसा में सम्मिलित किया गया है न ही भारत सरकार के द्वारा ही स्वीकृत किया गया है, को भी सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। ये बिन्दु निम्नवत है–

  - ✓ राज्य में अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने में कुल 12 हजार करोड़ रूपये के राशि व्यय होने की संभावना है। राज्य सरकार के द्वारा इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था अपने सीमित संसाधनों के आधार पर नही किया जा सकता है। उप–समूह की अनुशंसा मे राज्य सरकारों को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता प्रदान किये जाने की अनुशंसा प्रदान की गई है परन्तु उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के बिन्दु पर कोई स्पष्ट अनुशंसा नही है। इस संबंध में विशेष केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है।
  - ✓ वर्त्तमान में राज्य में उपलब्ध आधारभूत संरचना से करीब 2.5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किया जा सकता है। शेष 17.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किये जाने हेतु आधारभूत संरचना को विकसित किया जाना होगा। राज्य में वर्तमान में कुल 534 प्रखंड है, जिसमें लगभग 90 प्रखंडों में सार्वजनिक क्षेत्र में 120 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला सहित) संचालित है। अतः प्रत्येक प्रखंड

में सार्वजनिक क्षेत्र में एक–एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुमानित 8,880 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। उप–समूह के द्वारा राज्य के प्रत्येक प्रखंड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संस्थान खोला जाए तथा इसके लिए राज्य सरकार को आर्थिक मदद दी जाए, की अनुशंसा नही की गई है, जो कि एक महत्वपूर्ण बिन्दु है अतएव इसे केन्द्र सरकार की कौशल विकास नीति में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है।

- **स्वच्छ भारत अभियान** – राज्य सरकार बिहार को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु प्रतिवद्ध है। ''स्वच्छ बिहार स्वस्थ्य बिहार'' अभियान के रूप में राज्य सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की शुरूआत की है। विकसित बिहार के 7 निश्चय में से एक ''शौचालय निर्माण घर का सम्मान'' के तहत मिशन मोड में अगले 4 वर्षों में पूरे राज्य को खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है और उस पर तेजी से कार्य चल रहा है। 7 निश्चय के तहत गाँव हो या शहर सभी घरो में पाईप के माध्यम से नल के जल की व्यवस्था की जा रही है। इससे भी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को बल मिल रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित उप–समूह के समक्ष राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव रखे गये थे जिनमे से कई को क्रियान्वयन नीति में शामिल नही किया गया है। इनमे से निम्न मुख्य है–

- ✓ बिहार जैसे अल्प आय वाले राज्यों के लिए स्वच्छ भारत मिशन में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 90:10 का रखा जाय, जो वर्तमान में विशेष श्रेणी के राज्यों में लागू है।
- ✓ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत चिन्हित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत किसान, वासभूमि वाले भूमिहीन श्रमिक, शारीरिक रुप स विकलांग और महिला प्रमुख परिवार) के ए.पी.एल. परिवारों के स्थान पर सम्पूर्ण शौचालय विहीन ए.पी.एल. परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि का प्रावधान होना चाहिए।
- ✓ बिहार के एक बड़े हिस्से को बाढ़ एवं जलजमाव की समस्या से जुझना पड़ता है। अतः इन क्षेत्रों में सामान्य लिचपीट शौचालय कारगर नहीं होता है तथा तकनीकी रूप से उन्नत शौचालयों के निर्माण की आवश्यकता होती है, ताकि वे भौगोलिक/प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करते हुए पर्यावरणीय स्वच्छता को भी सुनिशचित करें। इसके तहत इकोसैन, ऊँचे प्लेटफार्म क साथ शौचालय आदि तकनीकी से शौचालय निर्माण कराया जाना उपयोगी होगा, परन्तु इसमें लाभार्थियों को 12,000 रूपये के स्थान पर न्यूनतम 20,000 रूपये प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने पर विचार किया जाना चाहिए।
- ✓ स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की मार्गदर्शिका में वयक्तिक शौचालय के लिए 4000 रूपये की केन्द्रीय सहायता को बढ़ाकर 9,000 रूपये किया जाय। कुल 12,000 रूपये प्रति इकाई लाभार्थियों को दिया जाय।
- ✓ स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में ज्ञान संसाधन केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता है जो वर्त्तमान में कुछ ही राज्यों में उपलब्ध है जिसमें बिहार शामिल नहीं है। अतः बिहार में इसकी स्थापना की आवश्यकता है।
- ✓ वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार 500 से अधिक परिवारों वाले ग्राम पंचायतों के लिए ठोस एवं कचरा प्रबंधन योजना मद में अधिकतम 20 लाख रूपये का प्रावधान है। बिहार जैसे राज्य जहां औसतन 2000 परिवारों के पंचायत हैं, अतः यह राशि अपर्याप्त है। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन कार्य हेतु राशि का प्रावधान पंचायत की आबादी के अनुसार रखा जाना चाहिए।
- ✓ स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्व निर्मित वैसे शौचालय जो उपयोग के लायक नही है को शौचालय नही माना जाये और उनके पुनर्निर्माण हेतु अलग से वित्तीय सहायता प्रदान किया जाये।
- ✓ ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन से संबंधित किफायती एवं तकनीक में पर्यावरणीय स्वच्छता को सुनिश्चित करने वाले तकनीकों के मानकीकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाय।
- ✓ दिव्यांग जन के लिए वर्तमान प्रोत्साहन राशि में शौचालय का निर्माण कराया जाना कठिन है। निःशक्त जनों के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत विशेष प्रावधान किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर निःशक्त परिवार बाधामुक्त शौचालय का निर्माण कराये जाने के लिए प्रेरित हो सकें।

- **किसानों की आय को दोगुना करना** – देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। देश के सकल घरेलू उत्पाद का 14 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से आता है। बिहार जैसे राज्य के लिए कृषि और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य की 89 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है और 76 प्रतिशत जनसंख्या अपने जीवकोपार्जन के लिए कृषि एवं कृषि आधारित कार्यों पर निर्भर है। अतः कृषि विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। वर्ष 2008 में पहली बार एक कृषि रोडमैप बनाया गया, जिसकी अवधि 31 मार्च, 2012 तक थी। कृषि रोडमैप के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज, कृषि यंत्र, हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट तथा फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि के उन्नतशील तौर–तरीकों का बड़े पैमाने पर प्रचार–प्रसार किया गया। हमारे मेहनती किसानों के प्रयासों से राज्य में धान, गेहूँ एवं मक्का की उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई।

  पहले कृषि रोड मैप की सफलता से उत्साहित होकर दूसरा कृषि रोड मैप 2012–2017 तैयार कर लागू किया गया। किसानों को केन्द्र में रखते हुए इस कृषि रोड मैप में कृषि के समग्र विकास की परिकल्पना की गयी। उत्पादन तथा उत्पादकता में गुणात्मक परिवर्तन के लक्ष्य रखे गये। इसमें सभी महत्वपूर्ण अवयवों को समेटा गया ताकि प्रथम हरित क्रांति से छूटे बिहार के कृषि क्षेत्र में इन्द्रधनुषी क्रांति लायी जा सके। इसकी तकनीकी एवं प्रबंधन एकीकृत एवं टिकाऊ है तथा इसके माध्यम से हम अनाज, दाल, तिलहन, फल, सब्जी, गन्ना, जूट, मधु, मशरूम, दूध, मांस, अंडा तथा मछली के विकास हेतु इन्द्रधनुषी क्रान्ति लाने के लिए काम कर रहे हैं। उत्पादन से संबंधित योजनायें बिहार की विशिष्ट कृषि जलवायु परिस्थितिओं के अनुसार बनायी गई है। इसमें कृषि उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि करना, उत्पाद के भण्डारण, मूल्य संवर्द्धन, विपणन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था करना, सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन एवं विस्तार, डेडिकटेड फीडर के माध्यम से बिजली की उपलब्धता बढ़ाना, 250 तक की आबादी के बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना, भूमि सर्वेक्षण एवं चकबन्दी की व्यवस्था और 5 वर्षों में 24 करोड़ वृक्ष लगाना शामिल है।

  कृषि रोड मैप के माध्यम से हमने अपने किसानों को समय स गुणवत्तापूर्ण उपादान उपलब्ध कराये, उन्हें नई तकनीकों से अवगत एवं प्रशिक्षित कराया और उनके क्षमता का संवर्द्धन किया। इसके साथ विभिन्न योजनाओं में कृषकों को अनुदान का सहयोग देकर बिहार में कृषि विकास को नई दिशा दी गई है। योजनाओं का लाभ उठा कर हमारे मेहनती किसानों ने राज्य में धान, गेहूँ एवं मक्का की उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि की और बिहार राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। किसानों को लाभकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ–साथ उनकी उपज का वाजिब मूल्य भी दिलाया गया है, जिससे उनकी माली हालत सुधरी और उनके आमदनी में वृद्धि हुई है। वर्तमान कृषि रोड मैप की अवधि 2017 में समाप्त हो रही है, इसको दृष्टिगत रखते हुये अगले 5 वर्षों के लिए नये कृषि रोड मैप के सूत्रण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि बिहार के कृषि रोड मैप से संबंधित योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार समुचित वित्तीय सहयोग दे।

  कृषि के क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा बड़ी संख्या में छोटी–छोटी योजनायें चलायी जा रही हैं एवं कई मामलों में इनका स्वरूप भी एक जैसा है। इस कारण से इनके कार्यान्वयन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और लक्षित किसानों को इनका लाभ भी ससमय नहीं मिल पाता है। योजनाओं का स्वरूप छोटा रहने के कारण इसका आच्छादन का विस्तार एवं प्रभाव भी सीमित रह जाता है। अतः इस संबंध में मेरा सुझाव है कि केन्द्र सरकार को कृषि योजनाओं का युक्तिकरण कर इनकी संख्या सीमित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त पूर्वी राज्यों को दूसरे हरित क्रांति का क्षेत्र माना जा रहा है। राष्ट्रीय किसान आयोग ने पूर्वी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के महत्व को रेखांकित किया है तथा नीति आयोग ने भी इसे स्वीकार किया है। भारत सरकार द्वारा पूर्वी भारत में हरित क्रांति नाम से एक योजना चलायी जा रही है, परन्तु इस योजना का आकार बहुत ही छोटा है तथा इस योजना में शामिल मद भी पर्याप्त नहीं है। अगर केन्द्र सरकार इस योजना के संबंध में गंभीर है तो इसे प्राथमिकता में लाकर इसके आकार में पर्याप्त वृद्धि की जाय।

  माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान कृषि उपज के लागत पर 50 प्रतिशत जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की घोषणा की थी। किसानों की आमदनी दोगुना करने की दिशा में इससे बेहतर पहल नहीं हो सकती। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मरण दिलाते हुये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस घोषणा को शीघ्र क्रियान्वित किया जाय। साथ ही जब हम किसानों की आमदनी दोगुना करने

की बात करते है तो यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि राशि का आकलन स्थिर मूल्य पर होगा न कि वर्तमान मूल्य पर।

- **गरीबी उन्मूलन** – केन्द्र सरकार तथा योजना आयोग द्वारा गरीबी आकलन के प्रयास कैलोरी अंतर्ग्रहण तथा व्यय पर आधारित किये जाते रहे हैं, परन्तु गरीबी आकलन के परिभाषा पर कोई सार्वभौमिक सहमति नहीं बन पायी है। मेरे विचार से केवल व्यय तथा कैलोरी अंतर्ग्रहण गरीबी आकलन हेतु साधन नहीं हो सकत हैं, क्योंकि यह मानव विकास के न्यूनतम जरूरतों यथा, पोषण, वस्त्र, आवास, शिक्षा स्वास्थ्य आदि की उपेक्षा करता है। अतः एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

  पटना में जुलाई, 2007 में ''गरीबी संबंधी मुद्दो का पुनविलोकन–आकलन, पहचान एवं उन्मूलन'' विषय पर अंतराष्ट्रीय सेमिनार में सर्वसम्मति से निर्गत घोषणा–पत्र में इस बात पर बल दिया गया था कि ''गरीबी रेखा'' मापने की वर्तमान कार्यप्रणाली दोषपूर्ण है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। सेमिनार में इस बात पर सहमति बनी थी कि गरीबी और अभाव के विभिन्न अवयवों एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण की बदली हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गरीबी आकलन करने के नये तरीको एवं मापदंडो पर विचार किया जाना चाहिए।

  राज्य सरकार का मानना है कि गरीबी उन्नमूलन के तहत प्रत्येक भारतीय को आवश्यक रूप से प्रतिष्ठापूर्ण और आत्मसम्मान से जीवन जीने का अवसर दिया जाना चाहिए। विकास को राष्ट्रीय एजेंडा के रूप में विभिन्न आवश्यकताओं के लिए व्यक्तिगत आदेयता के मानक निर्धारित किये जाने चाहिए तथा उपयुक्त मानकों के राष्ट्रीय औसत से जिन राज्यों की जितनी अधिक दूरी है, उस दूरी को पाटने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना नीति आयोग का पहला दायित्व होना चाहिए। विकास के लाभ को समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों जिसमें अत्यधिक गरीब हैं, को सशक्त एवं सक्षम बनाना जरूरी है। इसी तरह सभी राज्यों और क्षेत्रों का संतुलित विकास किये बिना, संपूर्ण राष्ट्र का विकास अपूर्ण रहेगा। इसलिए पिछड़े हुए साधन विहीन और अबतक उपेक्षित क्षेत्रों को राष्ट्रीय पैमानों की सीमा के अंतर्गत लाने के लिए उन्हें विशेष सहायता की जानी चाहिए।

- **सतत विकास लक्ष्य** – बिहार सरकार 'न्याय के साथ विकास' का नजरिया रखते हुए सभी लोगों एवं क्षेत्रों को साथ लेकर चल रही है। राज्य में विकास की रणनीति समावेशी, न्यायोचित और सतत होने के साथ आर्थिक प्रगति पर आधारित है। कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन, आपदा प्रबंधन और औद्योगिक प्रोत्साहन एवं निवेश की हमारी विशिष्ट नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है जिनसे हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, कमजोर वर्गों के कल्याण एवं महिलाओं तथा बच्चों के समुचित विकास के लिए अनेक राज्य योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

  देश की आज़ादी के उपरांत विकास के दृष्टिकोण से राज्यों का अनुभव में काफी भिन्नता रही है। जहाँ कई राज्यों का तेजी से विकास हुआ हैं, वहीं कई अन्य राज्य अभाव से ग्रसित रहे हैं। वित्त आयोग की उत्तरोत्तर अनुशंसाएं भी राज्यों के बीच के इस अन्तर को पाटने में असफल रहीं है। बिहार जैसे राज्यों को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है। विभिन्न अध्ययन भी इस ओर इंगित करते है कि केन्द्र सरकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुदानों का सर्वाधिक लाभ विकसित राज्यों को ही मिलता है। इस कारण से क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिला है तथा देश में विकास के टापू सृजित हो गये हैं।

  राष्ट्रीय विकास के आंकड़ों के व्यवहार में भी उच्च उतार–चढ़ाव के संकेत मिलत है। उच्च वृद्धि दर वाले वर्षों का अचानक कम वृद्धि वाले वर्षों से प्रतिस्थापन हो जाता है तथा इस असमान प्रदर्शन के कारण निवेशकों के विश्वास में कमी आ जाती है। इसका कारण विकसित राज्यों के योगदान पर अत्यधिक निर्भरता है। अगर इसके बदले अधिक पिछड़े और गरीब राज्यों को उपयुक्त नीति से प्रोत्साहित किया जाय तो राष्ट्रीय विकास के आंकड़ों में अवांछनीय उतार–चढ़ावों को कम किया जा सकता है। भारत की जनसंख्या का आठ प्रतिशत आबादी वाला बिहार का योगदान राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में केवल 3 प्रतिशत है। पिछले 10 वर्षों में बिहार ने तीव्र आर्थिक विकास करते हुए दो अंकों का विकास दर हासिल किया है। हमारे हालिया प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए अब उपयुक्त

समय आ गया है कि हमारे विकास के प्रयासों को सक्षम नीतियों के माध्यम से समर्थन एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाय। इस लक्ष्य को साकार करना बिहार एवं भारत दोनों के हित में होगा, ऐसा माना जाना चाहिए।

सतत विकास लक्ष्य एवं 2030 का एजेंडा हम सबों को अवसर प्रदान करता है कि कुछ राज्यों तथा आबादी के कुछ कमजोर वर्गों के साथ किये गए असमानता एवं अन्याय के कारणों की बारीकी से जाँच की जाय। सामाजिक एवं आर्थिक रुप स पिछड़े राज्य गत वर्षों में तेजी से प्रगति करने के बावजूद भी विकास के सामाजिक एवं आर्थिक मानकों पर राष्ट्रीय औसत से पीछे है। सतत विकास लक्ष्य एवं वर्ष 2030 तक का एजेण्डा इस अन्तर को पाटने का अवसर प्रदान करता है। मेरा सुझाव है कि सभी प्रक्षेत्रों में विकास के विभिन्न मापदंडों पर राज्यों की जरूरतों का आकलन करने का यह उचित अवसर है, जिसके आलोक में प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए विकास की रणनीति का मसौदा तैयार किया जाय ताकि पिछड़े राज्यों को कम से कम सभी सूचकांकों के राष्ट्रीय औसत पर लाया जा सके।

कई वैश्विक सतत् विकास लक्ष्यों को तबतक प्राप्त नहीं किया जा सकता जबतक भारत उन लक्ष्यों को हासिल न कर ले इसलिए भारत सरकार एवं नीति आयोग का यह उत्तरदायित्व है कि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों पर विशेष ध्यान दें। गरीबी की माप को पुनः परिभाषित करने एवं सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को जारी करने में विलम्ब प्रतिगामी है एवं सतत् विकास लक्ष्य के पृष्ठ भूमि में इस पर प्राथमिकता के साथ विचार किया जाना चाहिए।

राज्यों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दी जानेवाली विशेष सहायता का उल्लेख राष्ट्रीय दृष्टि पत्र 2030 में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। राज्यों की आकांक्षाओं/आवश्यकताओं को रणनीति एवं कार्य योजना के राष्ट्रीय रूपरेखा में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। सतत विकास लक्ष्य के मुख्य सिद्धांतों में से एक प्रमुख सिद्धान्त ''कोइ भी पीछे छ्टे नहीं'' के तहत यह आवश्यक है कि सबसे कमजोर वर्ग के जन समूहों को लाभकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की कार्रवाई सभी के द्वारा की जानी चाहिये। हम आशा करते हैं कि केन्द्र सरकार इन बातों का उचित ध्यान रखेगी।

प्रस्तावित सात वर्षीय रणनीति एवं तीन वर्षीय कार्य योजना मसौदे पर राज्यों के साथ आगे भी विचार विमर्श की जरूरत पड़ेगी। यह देखते हुए कि सतत विकास लक्ष्य सार्वभौमिक, एकीकृत, रूपान्तरित एवं आकांक्षात्मक है, हमारा सुझाव होगा कि लघु, मध्यम एवं दीर्घकालीन रणनीति का सूत्रण किया जाय जो राज्या के बीच असमानताओं के स्तर पर आधारित हो। विविधताओं वाले हमारे देश में ''हर मर्ज की एक दवा'' की नीति अथवा केन्द्रीयकृत रणनीति लागू करना कभी फलदायी नहीं हुआ है, इसलिए हमें सतत विकास लक्ष्य एवं एजेंडा 2030 को हासिल करने के लिए समय–सीमा, दृष्टिकोण एवं संसाधनों पर निश्चित रूप से विचार विमर्श की आवश्यकता होगी। अंततः सभी नीति एवं योजना आदेयता एवं बसावट आधारित होनी चाहिए एवं उनकी प्राप्ति के लिए उचित संसाधनों की व्यवस्था दृष्टिपत्र में ही उल्लेखित रहनी चाहिए।

मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि बिहार सरकार ने विगत वर्षों में कई तरह के परिवर्तनकारी कदम उठाये हैं। सुशासन के कार्यक्रम, विकसित बिहार के सात निश्चय, बिहार विकास मिशन का गठन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप (2015–30), महिला स्वयं सहायता समूहों का जीविका कार्यक्रम, सभी सरकारो नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण, नागरिकों के सशक्तिकरण हेतु लोक सेवा अधिनियम तथा लोक शिकायत निवारण अधिनियम आदि जैसी अनेक पहल की गई हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई है। शराबबंदी के कारण नागरिकों के स्वास्थ में बेहतरी, परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार, पारिवारिक हिंसा, घरेलू कलह एवं सामाजिक अपराध में कमी आई है। चम्पारण सत्याग्रह के सौवें साल में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है।

संसाधनों की कमी के बावजूद राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर में शौचालय, संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ने, घरों तक पक्की गली–नाली का निर्माण एवं युवाओं और महिलाओं के लिए उच्च, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा एवं

कौशल विकास की व्यवस्था जैसे राष्ट्रीय विकास एजेंडा से संबंधित प्राथमिकताओं को अपने सीमित संसाधनों से मिशन मोड में क्रियान्वित कराया जा रहा है। निश्चय के तहत् कार्यान्वित योजनाओं को सार्वभौमिक स्वरूप दिया गया ताकि इसका लाभ बिना किसी भेद–भाव के सभी क्षेत्रों एवं वर्गों को प्राप्त हो सके। इस प्रकार राष्ट्रीय विकास एजेंडा, जो भारत सरकार की प्राथमिकता है, को हमारा राज्य अपने स्तर से आगे बढ़ा रहा है। हम आशा करते है कि भारत सरकार इन सभी पहल के लिए समुचित संसाधन उपलब्ध करायेगा।

हम आशा करते हैं कि भारत एवं बिहार राज्य के लिए दृष्टिपत्र बनाते समय उपर्युक्त वर्णित सभी मुद्दों एवं सुझावों पर सम्यक विचार किया जायेगा।